DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- * THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, MARCH 22, 2023 ------DATED-----------------------

How Walkability Plan Will Create Space For Pedestrians, Cyclists At Mandi House

Surface Parking Lots To Be Shifted, Footpaths Made Continuous For Ease Of Movement

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Footpaths will be continuous and the surface parking lots will be shifted to create space for pedestrians and cyclists. Hurdles on the footpaths will be removed even as multi-function zones and green spaces will be created, all to streamline the movement of pedestrians. Road engineering overseer Unified Traffic and Transportation Infrastructure Centre (UTTIPEC) approved these measures on Monday to improve walkability at Mandi House.

While the Stage I proposal has been approved, with some changes, by an UTTIPEC committee chaired by lieutenant governor V K Saxena, the walkability plan consultant was asked to share project details with other agencies concerned, including NDMC, which claimed to have already implemented some components to improve walkability in the area.

"While the executing agency for the project will be New Delhi Municipal Council, the meeting on Monday emphasised discussions between NDMC and Delhi Traffic Police were important," said a DDA official. "NDMC might have worked on some of these measures, but the proposed plan is based on the walkability policy of UTTIPEC with emphasis on allowing free movement of pedestrians."

The LG said, "The plan aims to improve footpaths around the circle and on seven radial roads and ease pedestrian and traffic circulation around institutions such as National School of Drama, Modern School, Lady Irwin College, Mandi House, Bengali Market, etc. The proposal is to integrate the plan with Delhi Metro's Mandi House interchange station, Tilak Bridge railway station and the Himachal Road Transport Corporation bus stop."

To begin with, the plan suggests a continuous footpath along Tansen Marg, which at present is disrupted at various points. It also proposes medians and a channelising island at the entrance, table-top crossings at the minor intersections and shifting of the service road there to enable use of the space for cyclists and pedestrians.

Likewise, the plan highlights the discontinuous footpath on Copernicus Marg, which is a spot of vehicle-pedestrian conflict. It suggests developing a footpath and cycle track together, creating a pick-up point next to the carriageway. Similarly, the plan noted the discontinuity caused by a minor intersection near Doordarshan Bhawan on Bhagwan Das Road and construction of a toilet block next to the footpath there.

On Safdar Hashmi Marg it has been suggested that the surface parking on the edge of the carriageway be shifted to a buffer zone created to accommodate utilities and street fixtures.

NDMC officials disclosed that tasks already implemented at the Mandi House roundabout were discussed at a DDA-UTTIPEC meeting four months ago. "We have yet to get the report presented in the UTTIPEC meeting. We will go through this and try to implement the reasonable points," said an official.

Overall, the plan is to have footpaths equally divided on both sides of the carriageway by maintaining the same width of the road as now. "The surface quality and the pavers are to be taken care of properly and unwanted materials such as dry vegetation, construction debris and garbage, should be regularly disposed of. Vendors can be relocated or can be assigned a certain width, apart from minimum walkable width of 1.8 metres on the footpath," says the plan.

It adds, "The presence of utilities like signage, dustbins, electric boxes, manholes, telecom utilities, streetlights, bollards and utility poles hinder pedestrian movement and can be relocated to the buffer zones."

Times View

City footpaths are like a nerve system. When they are not connected with each other, they cease to be safe for pedestrians and, consequently, are not preferred. When footpaths are interlinked, people are encouraged to walk on them. This helps reduce a city's carbon footprint. The area around Mandi House is the city's art centre. A plan like this will improve its approach and better its ambience for walkers.

A CAKEWALK FOR COMMUTERS

- Stage-I of walkability plan for area around Mandi House approved by UTTIPEC

Includes improving footpath around circle and on seven radial roads | Barakhamba Road, Tansen Marg, Safdar Hashmi Marg, Sikandra Road, Bhagwan Das Road, Copernicus Marg and Ferozeshah Road

- Aim is to ease pedestrian and traffic movement around institutions, such as National School of Drama, Modern School, Lady Irwin College, Mandi House, Bengali Market, etc
- Plan will be integrated with the Mandi House metro interchange, Tilak Bridge railway station and HRTC bus stand
- NDMC claims to have already carried out some work. So, consultant asked to share plan with all the agencies concerned

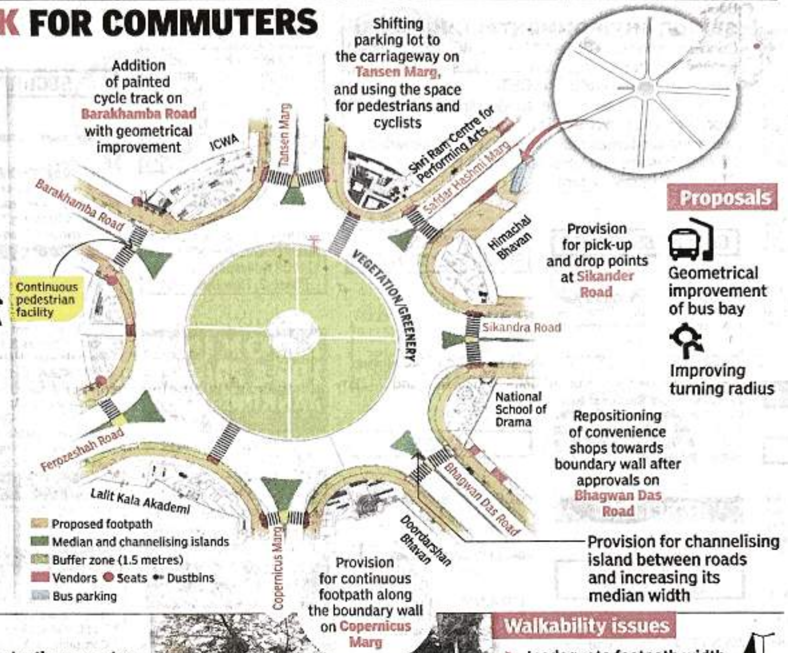

Proposals

- Geometrical improvement of bus bay
- Improving turning radius

Present status

Overall stretch length
5,281m

Footpath length
4,228m

Footpath width
1.8m

Footpaths present on

80% area

'Walkable' footpaths

76.8%

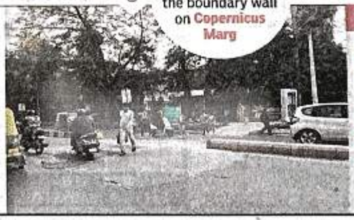

Walkability issues

- Inadequate footpath width
- Absence/discontinuity of footpaths
- Obstructions on footpath
- Encroachment
- Other issues like uneven surface, pavers not fixed properly, unwanted material left on roads, etc

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023 दैनिक जागरण 7

पुरानी कालोनियों को पुनर्विकसित करने की कोशिश नाकाम

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

पिछले कुछ सालों में दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है। अनधिकृत कालोनियां भी बढ़ी हैं। नियमित कालोनियों में बिल्डर फ्लैट के चलन से भी आबादी कई गुना बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने और सुविधाओं के सीमित रहने की वजह से सिस्मिक जोन-चार में शामिल राजधानी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए राजधानी में कई स्तरों पर प्लानिंग हुई। री-डिवेलपमेंट प्लान भी बने, लेकिन यह सिरे नहीं चढ़ सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लैंड पूलिंग पालिसी रहा। इसके तहत एक भी सेक्टर अब तक फाइनल नहीं हो पाया है।

अभी तक किए गए प्रयासः अधिकारियों के अनुसार लैंड पूलिंग पालिसी 2018 में अधिसूचित हुई, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सकी है। इसकी दो सबसे बड़ी बाधाएं यह हैं कि इसमें 70 प्रतिशत भूमालिकों का एक साथ आना और 70 प्रतिशत जमीन एक जगह मिलना जरूरी है। हालांकि, मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट में एफएआर बढ़ाकर पुरानी बिल्डिंगों को पुनर्विकसित करने का प्लान है। इससे राजधानी की इन कालोनियों में बसी आबादियों के लिए ऊंची इमारतें बनेंगी। इससे बची जगहों पर जनसुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इससे यहां पार्किंग, सड़कें, हेल्थ सर्विसेज, पार्क आदि के लिए जगह बचेगी। अगस्त-2022 में शहरी विकास मंत्रालय ने शहरी पुनर्विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में बदलाव भी प्रस्तावित किए हैं। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो एक बड़ी अड़चन साफ होगी।

क्यों है कालोनियों के पुनर्विकास की जरूरत

राजधानी की घनी आबादी वाली कालोनियों में इस समय बिल्डर फ्लैट्स का चलन तेजी से फल-फूल रहा है। 50 से 200 गज जमीन पर चार मंजिला इमारत में कई फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स का न ले-आउट प्लान होता है न क्वालिटी चेक। यह भूकंपरोधी हैं या इसका पता होता ही नहीं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

डीडीए के पूर्व कमिश्नर (प्लानिंग) एके जैन ने बताया कि नियम तो अनेक हैं लेकिन उन्हें लागू करना राजधानी में मुश्किल हो रहा है। राजधानी की 50 प्रतिशत से अधिक बिल्डिंग के लिए प्लान नहीं है। गांव में निर्माण पर कोई रोक-टोक नहीं है। 2007 में एक कमेटी बनी थी जिसने 80 प्रतिशत बिल्डिंग अनसेफ बताईं थीं। डीडीए फ्लैट्स में भी आल्ट्रेशन काफी अधिक हो रहे हैं। भवन उपनियम सख्ती से लागू हो नहीं पाते। गांव, पुरानी दिल्ली, अनधिकृत कालोनियों में 100 साल पुरानी बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाए। इनमें यदि रेट्रोफिटिंग की जरूरत होती है तो उसे सरकार सबसिडाइज्ड रेट पर करे ताकि लोगों पर बहुत अधिक बोझ न आए। इसके लिए पहले लोगों को छह महीने का समय दिया गया, फिर एक साल का, फिर दो साल का और अंत में यह रद हो गया। यदि रिडेवलपमेंट की बात की जाए तो इसे कानून बनाने होंगे। जिससे राजनीति का दखल कम हो जाए। यह पुनर्विकास के लिए जरूरी हैं। करीब दस साल पहले ही देरी हो चुकी।

यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया, ध्वस्त कीं झुग्गियां

नई दिल्ली : डीडीए ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि यमुना के डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया है और झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। इस संबंध में हाल ही में एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ झुग्गीवासियों की अपील पर सुनवाई करते हुए डीडीए को कवायद के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा। डीडीए की ओर से पेश अधिवक्ता प्रभासहाय कौर ने कहा कि ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस दिया गया था। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि कब्जाधारी वर्षों से इस जमीन पर खेती कर रहे थे। उन्होंने अपीलकर्ताओं के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। (जासं)

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, MARCH 22, 2023

LG launches plantation drive

New Delhi: On the occasion of International Day of Forests, lieutenant governor VK Saxena launched a plantation drive for restoration of the Yamuna floodplain on an 11-km stretch in northeast Delhi. A triple grid plant cover consisting of 4 lakh riverine grasses in the first layer, a second layer of 70,000 bamboo trees and the third layer of 13,500 flowering trees will be developed on this stretch, which had turned into a dumpyard, said officials.

About 10,000 students took part in the plantation programme. Union environment minister Bhupender Yadav was also present.

"Following an NGT order, work on rejuvenation of the Yamuna is going on in mission mode and going by the results that are visible in terms of cleaning of Najafgarh Drain, cleaning of Kudsia Ghat and development of the floodplain at Asita East, Asita West and Baansera, one can expect good results very soon," said the LG. TNN

THE INDIAN EXPRESS,

Plantation drive held at Yamuna floodplains

New Delhi: Over 4 lakh saplings will adorn an 11-km stretch of Yamuna floodplains in Northeast Delhi, the DDA stated, following a plantation drive by L-G V K Saxena and Union Minister for Environment, Forests and Climate Change Bhupender Yadav on International Day of Forests.

The drive, which saw the plantation of 5,000 saplings, is part of the restoration of the Yamuna floodplains on the stretch between Bela Farms, Shastri Park and Garhi Mandu. **ENS**

यमुना पर बनेगा बिना छत और दीवार वाला अनूठा म्यूजियम

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

>> मिलेनियम बस डिपो की फोटो • जागरण

दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव

- मिलेनियम डिपो की भूमि पर प्राकृतिक रूप में लेगा आकार, एलजी के निर्देश पर डीडीए ने प्रस्ताव किया तैयार
- स्क्रीनिंग कमेटी की स्वीकृति का है इंतजार, म्यूजियम का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू यमुना इन फार्म आफ यमुना

यह ओपन म्यूजियम एक अनूठा प्रोजेक्ट है, जो संभवतः देशभर में अपनी तरह का पहला होगा। यमुना और इसके बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ-साथ इसके गौरवशाली इतिहास से लोगों को परिचित कराना भी जरूरी है। आज की पीढ़ी यमुना की अहमियत से वाकिफ होगी, तभी इसके संरक्षण में भी अपना सहयोग देगी।

कल्पना खुराना, अतिरिक्त आयुक्त (लैंड स्कैपिंग), डीडीए

दिल्ली में यमुना नदी पर अनूठा म्यूजियम बनने जा रहा है। इसकी न कोई छत होगी, न दीवार। पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप में बनने वाला यह देश का भी पहला ऐसा म्यूजियम होगा, जो यमुना से सीधा साक्षात्कार कराएगा। साबरमती की तर्ज पर राजधानी में भी एक रिवरफ्रंट बनाने की दिशा में एलजी वीके सक्सेना के दिशा-निर्देश पर डीडीए ने इस ओपन म्यूजियम का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। म्यूजियम का नाम 'इंट्रोडक्शन टू यमुना इन फार्म आफ यमुना', यानी 'यमुना का परिचय यमुना के ही रूप में' होगा। अब इस प्रस्ताव को डीडीए की स्क्रीनिंग कमेटी से स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलते ही योजना पर काम शुरू हो जाएगा।

जानकारी के [illegible]ताबिक मिलेनियम डिपो की लगभग 60 एकड़ जमीन, जो लगभग दो महीने पहले ही दिल्ली सरकार से वापस डीडीए को हस्तांतरित हुई है, पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां ऐसे म्यूजियम का प्रस्ताव बनाया गया है, जिसका स्वरूप प्राकृतिक हो। यानी, यहां स्कल्पचर, पेंटिंग्स और उद्यान विभाग की कला का प्रदर्शन अधिक होगा। डीडीए द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक एक तो यहां दिल्ली के कुल 22 किलोमीटर लंबे यमुना स्ट्रेच को जीवन की तीन अवस्थाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा- बालपन, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसके अलावा यह म्यूजियम तीन हिस्सों में बंटा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन वाला क्षेत्र, घना वन क्षेत्र और पिकनिक मनाने वाला सामान्य पार्क। साथ ही साथ नदी के बिल्कुल किनारे वाला क्षेत्र भी प्रदर्शित किया जाएगा। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक इस म्यूजियम को तैयार करने में आने वाला खर्च केंद्र सरकार के शहरी विकास फंड से दिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरी झंडी मिलने के बाद, जो अगले कुछ दिन में मिल जाने की उम्मीद है, के बाद एक बार काम शुरू हो जाने पर लगभग एक वर्ष में म्यूजियम बन जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER the pioneer
NEW DELHI | WEDNESDAY | MARCH 22, 2023

Removed all encroachments from Yamuna floodplains, DDA tells HC

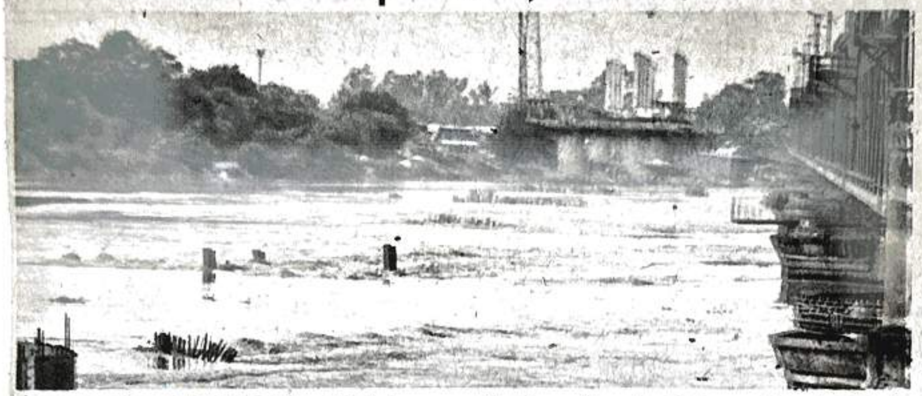

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday told the Delhi High Court it has removed encroachments from the Yamuna floodplains here and demolished the jhuggis which were directed to be vacated by a single judge last week.

A Bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma, while hearing an appeal by the jhuggi dwellers against the single judge order, asked DDA to file an affidavit in relation to the exercise.

"Has the demolition taken place?" asked the bench, also comprising Justice Subramonium Prasad, to which the counsel for DDA responded, "Yes, it has been completed. It is over."

Advocate Prabhsahay Kaur, appearing for the DDA, said notice was given before the demolition in compliance with the requirements and the occupants were informed about the nearest DUSIB shelter.

"Counsel appearing for DDA has stated before this court that encroachment has already been removed... Let an affidavit be filed," said the bench.

Advocate Kamlesh Kumar Mishra, representing the appellants, said the occupants had been farming on the land for the last many years, and also raised the issue of their rehabilitation.

Residents of Moolchand basti located on the Yamuna floodplains at Bela Estate, Rajghat had moved the single judge earlier claiming that DDA and Delhi Police officials had visited them in August 2022 and threatened them to vacate their jhuggis, otherwise the same will be demolished forcefully.

The court said if the basti was covered under the list of notified cluster, it would be dealt with as per the applicable policy and there are orders of the National Green Tribunal calling for clearing the Yamuna floodplains.

"There are at least half a dozen NGT orders saying clear the Yamuna plains," said the court.

During the hearing, Kaur told the court that despite being given three days' time by the single judge, none of the occupants vacated the premises and the authority was under official orders to vacate the land within a fortnight.

"An eco-tourism park is being developed here," she said, adding that the issue of removal of encroachment in the present case has been looked into by several courts, including the Supreme Court.

"Fathers of petitioners in this case have lost up to the Supreme Court and this was concealed in the writ petition," she claimed.

The single judge had recorded that the residents had concealed certain material facts, as recorded in its order of August 17, 2022, regarding earlier litigations challenging eviction by their fathers and grandfathers which had attained finality till the Supreme Court.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED------------------------

नई दिल्ली। बुधवार • 22 मार्च • 2023 राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

तीन लेयर में प्रस्तावित योजना से होगा यमुना का कायाकल्प

नई दिल्ली (एसएनबी)। उत्तरी-पूर्वी दिल्ली स्थित गढ़ी मांडू गांव से बेला फार्म शास्त्री पार्क तक यमुना नदी के किनारे 11 किलोमीटर तक पुनरुद्धार किया जाएगा। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंगलवार को इस योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ उन्होंने पौधरोपण भी किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर भी मौजूद थे।

इस पौधारोपण अभियान में स्कूल एवं कॉलेज के 10 हजार से अधिक बच्चों एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बच्चों के साथ मिलकर करीब 5000 पौधे लगाए। यह प्रोजेक्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) कर रहा है।

- **उपराज्यपाल ने किया गढ़ी मांडू गांव से शास्त्री पार्क तक पुनरुद्धार के कार्य का शुभारंभ**
- **केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ एलजी ने लगाए 5000 पौधे**

डीडीए के मुताबिक यमुना को इस क्षेत्र में तीन लेयर में विकसित करने की योजना है। पहले लेयर में रिबराइन ग्रास, दूसरी लेयर में बांस और तीसरी लेयर में फूल एवं पेड़ों को लगाया जाएगा। प्राधिकरण का कहना है कि यमुना का यह किनारा बंजर होने की वजह से अभी तक उपेक्षित था। कांस, मूंज एवं बेटिवर समेत रिजबाइन घास की 4 लाख से अधिक पौधे, 70 हजार से अधिक बांस के पौधे, गुलमोहर, तकोमा, अमलतास, ढ़ांक, सेमल समेत फूलों वाले 13,500 पौधे लगाने की योजना है। इस योजना से यमुना के इस क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) के आदेश पर इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। नजफगढ़ नाला एवं कुदेसिया घाट की सफाई, असिता ईस्ट, असिता वेस्ट और बांसेरा में बाढ़ के मैदान को विकसित किया जा रहा है।

उपराज्यपाल ने कहा कि सभी विभाग और दिल्ली की सिविक एजेंसियां यमुना को साफ करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य कर रही है। विकास से 30 साल से उपेक्षित यमुना प्रदूषित नाले में परिवर्तित हो गयी थी। नदी के कायाकल्प के लिए इस प्रयासों को दिल्ली के लोगों एवं बच्चों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों के सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सीमलेस गवर्नेस के विज़न के अनुसार इस योजना को पूरा किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इस अभियान में दिल्ली के लोगों से पूरा सहयोग मिला है। इस योजना से आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर ऊपर आएगा। इसके लिए प्राधिकरण से व्यापक योजना तैयार की है।

अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर उपराज्यपाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 किलोमीटर दायरे में यमुना बाढ़ के मैदानों की बहाली को पौधरोपण अभियान शुरू किया। *फोटो : एसएनबी*

यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने यहां यमुना के डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटा दिया है और उन झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है, जिन्हें पिछले सप्ताह एकल पीठ द्वारा खाली करने का निर्देश दिया गया था।

- **डीडीए ने हाईकोर्ट को दी जानकारी**

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ झुग्गीवासियों की अपील पर सुनवाई करते हुए डीडीए को इस कवायद के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीठ ने पूछा, 'क्या तोड़-फोड़ की कार्रवाई की गई है?' इस पर, डीडीए की ओर से पेश वकील प्रभसहाय कौर ने कहा, 'हां। इसे पूरा कर लिया गया है। कौर ने कहा कि नियमानुसार तोड़-फोड़ की कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था। पीठ ने कहा, ' डीडीए की ओर से पेश वकील ने इस अदालत के समक्ष कहा है कि अतिक्रमण पहले ही हटा दिया गया है... एक हलफनामा दायर किया जाए।अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि कब्जाधारी पिछले कई वर्षों से जमीन पर खेती कर रहे थे और उन्होंने इनके पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया।